जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 29.10.2024**

थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 255/2024 धारा 366 भादवि के सम्बंध में।

दिनांक 23.01.2018 को वादी ने अभियुक्त शादान पुत्र बाबू निवासी ग्राम बुढनपुर थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर के विरूद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 36/2018 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018 को पीडिता को बरामद कर अभियुक्त शादान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 27.02.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इसके उपरान्त दिनांक 30.04.2024 को वादी ने अभियुक्त शादान के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने व अभियुक्त के पिता बाबू द्वारा घटना में सहयोग करने के सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 186/2024 धारा 366/120 बी भादवि पंजीकृत कराया। विवेचना के दौरान दिनांक 09.05.2024 को पीडिता को बरामद किया गया। धारा 164 द0प्र0सं0 के बयानो में पीडिता द्वारा अभियुक्त शादान उपरोक्त से प्रेम करना व अपनी मर्जी से जाना तथा शादान से शादी करना बताया। धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयानों के आधार पर उक्त अभियोग में दिनांक 13.05.2024 को अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की गयी।

बरामदगी के 15 दिवस बाद परिवारिजनो द्वारा युवती के पुनः चले जाने की सूचना थाना स्योहारा पर दी गयी। उक्त घटना के उपरान्त वादी ने अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध वादी की बहन को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2024 को थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 255/2024 धारा 366 भादवि पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना प्रचलित है। उक्त अभियोग में अपहृता की ओर से मा0 उच्च न्यायालय, प्रयागराज में याचिका दायर की गई है व पक्षकारों द्वारा स्वयं को वयस्क बताते हुए सहायता की माँग की है। दिनांक 24.07.2024 को माननीय न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक प्रतिरोधक कार्यवाही स्थगित कर दी है। मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक 29.10.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 500/24 धारा 77/308(2)/351(2)/64(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.10.2024 को वादी ने धाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त हर्षदीप चौहान पुत्र अमरीश कुमार नि0 कालियावाला मन्दिर मौ0 लोहियान कस्बा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियों बना लेना व वीडियों वायरल करने का भय दिखाकर प्रताडित तथा रुपयों के लिए ब्लैकमेल किया गया। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 500/24 धारा 77/308(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाहीः-

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हर्षदीप चौहान पुत्र अमरीश कुमार नि0 कालियावाला मन्दिर मौ0 लोहियान कस्बा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हर्षदीप चौहान पुत्र अमरीश कुमार नि0 कालियावाला मन्दिर मौ0 लोहियान कस्बा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-.

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.हे0का0 645 प्रदीप थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.का0 2488 अनिल थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर **दिनांक – 29.10.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.10.2024 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम गुनियाखेडी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि ग्राम गुनियाखेडी के जंगल में प्रतिबन्धित गौवंशीय अवशेष मिले है। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 416/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1.नाजिर पुत्र मेहन्दी निवासी ग्राम बेड़ा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.शाहरूख पुत्र नईमुद्दीन 3.श्रीमती गुलशन पत्नी शमशाद 4.शोएब पुत्र फईमुद्दीन निवासीगण ग्राम गुनियाखेड़ी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 23/24.10.2024 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरुख को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया था तथा इसके 02 अन्य साथी अभियुक्तगण 1.नाजिर व 2.शोएब मौका पाकर फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.10.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में वांछित अभियुक्त नाजिर पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम बेडा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नाजिर पुत्र मेहदी हसन निवासी ग्राम बेडा खुर्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त नाजिर का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 416/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 418/2024 धारा 3(5)/109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री उमेशचन्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

3.हे0कां0 152 अनूप थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 387 परमवीर पवांर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर